

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा जंघई-प्रतापगढ़-अमेठी रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद जौनपुर (किमी० 847.170 से 868.000 तक) में प्रभावित 11.5778 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 450 वृक्षों/पौधों के पातन, जनपद प्रतापगढ़ में (किमी० 868.000 से 924.000 तक) प्रभावित 29.5555 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 2673 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद अमेठी में (किमी० 924.000 से 934.450 तक) प्रभावित 6.1698 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 2816 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 47.3031 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 5939 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal संख्या-एफपी/यूपी/रेल/43121/2019

राज्य सरकार की सिफारिशें- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-94/81-2-2020-800(102)/2020, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक :- 18.11.2020